न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अजीतसिंह राजावत आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 56 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. प्रभुराम पुत्र पुरखाराम 2. नीम्बाराम पुत्र पुरखाराम 3. गंगाराम पुत्र पुरखाराम 4. उकाराम पुत्र पनाराम 5. जीवाराम पुत्र पनाराम 6. गेराराम पुत्र पनाराम 7. खीन्दाराम पुत्र पनाराम 8. क्चराराम पुत्र प्रेमाराम 9. सांवलाराम पुत्र लुम्बाराम जाति कलबी निवासी प्रेमनगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. आसाराम पुत्र अचलाराम का.मु 1 / 1हेमाराम पुत्र आसाराम 1 / 2ठाकरीराम पुत्र आसाराम 1 / 3पुनमाराम पुत्र आसाराम 1 / 4मथरा पत्नी आसाराम 2. प्रभुराम पुत्र अचलाराम जाति पुरोहित निवासी लुम्बावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 12 / 2023 बअनवान प्रभुराम वगैरह बनाम आसाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 12.08.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 29.08.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 21 रकबा 2.9380 हैक्टयर मौजा प्रतापगढ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में पहुंच के प्रयोजन के लिए मौके पर खसरा संख्या 20 रकबा 4.3220 हैक्टयर के पूर्वी भाग पर ग्रेवल सड़क तक चालू है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु कोई सरकारी कटाण रास्ता नहीं है। उपरोक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुतम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण हस्तगत आवेदन मातहत अदालत के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट / प्रार्थी का आवेदन विधि विरूद्ध जाकर निर्णित

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेंट को जरिये सम्मन तलव किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर अपीलांट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए जो रास्ता प्रस्तावित किया गया उसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता अपीलांअस/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि से परे जाकर अपीलांटस का आवेदन खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश इस आधार पर पारित किया गया कि "प्रार्थी द्वारा धारा 251ए के तहत गैर मुमकिन वाला भूमि में से रास्ता चाहा गया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत निजी खातेदारी भूमि में से काश्तकारों को रास्ता उपलब्ध करवाने संबंधी प्रावधान किये हुए है।" इस संबंध राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6)विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(52)राज–6/12/4 जयपुर, दिनांक 14.06.2013 में प्रावधान किया कि "यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिये राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करने पर विचारण न्यायालय द्वारा जांच करने पर यह समाधन हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जावे।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 12/2023 बअनवान प्रभुराम वगैरह बनाम आसाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 12.08.2024 को अपास्त/निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, पूर्व में प्राप्त विस्तृत मौका जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 की धारा 251 ए को प्रभाव देने के लिये बनाये गये नियम 69 एवं 70 की पूर्णतया पालना करते हुये गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित कर अपीलांटस की खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु रास्ते को सुचारू करे। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.09.2024 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अजीतसिंह राजावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.8.24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर